

बांध सुरक्षा वधियक और उसका वरिोध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में पारित हुए **बांध सुरक्षा वधियक** का उद्देश्य देश भर के सभी बांधों के लिये एक समान सुरक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करना है। इस वधियक के पारित होने से यह उम्मीद की जा रही है कि इसके माध्यम से देश में बांध संबंधी आपदाओं को रोकने के लिये बांधों की नगिरानी, नरीक्षण, संचालन तथा रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चिती की जा सकेगी।

क्या कहता है यह वधियक?

- यह वधियक आपदाओं को रोकने के उद्देश्य से बांधों की नगिरानी, नरीक्षण, संचालन, रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चिती करने के लिये संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
- यह देश भर के उन सभी बांधों पर लागू होता है जिनकी ऊँचाई 10 मीटर से अधिक है या जिनके पास एक विशेष डज़ाइन तथा संरचनात्मक स्थिति है।
- यह वधियक **बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (National Committee on Dam Safety-NCDS)** के गठन की भी सफ़ारिश करता है। समिति के नमिनलरिखिती कार्य होंगे :
 - बांध सुरक्षा मानकों और बांधों में होने वाली घटनाओं की रोकथाम के संबंध में नीतियाँ और नियम तैयार करना।
 - बांधों की वफिलता के प्रमुख कारणों का वशिलेषण करना और बांध सुरक्षा के संदर्भ में अपनाई जा रही प्रक्रिया में परिवर्तन का सुझाव देना।
- इसके अलावा **NCDS** द्वारा की गई सफ़ारिशों को लागू करने के लिये **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority)** के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- राज्य स्तर पर बांधों के रखरखाव और उनकी सुरक्षा के लिये **राज्य बांध सुरक्षा संगठन** के निर्माण का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके काम की समीक्षा के लिये **बांध सुरक्षा पर एक राज्य समिति** का भी गठन किया जाएगा।

क्यों जरूरी है वधियक?

- केंद्र द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल 5,344 बड़े बांध मौजूद हैं जसिमें से 293 से अधिक बांध 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और 1,041 बांध 50-100 पुराने हैं।
- इन बांधों में से लगभग 92 प्रतिशत बांध अंतर-राज्यीय नदियों पर बने हैं और इनमें से कई पर दुर्घटनाओं के चलते उनके रखरखाव की चिंता पैदा हुई है। उदाहरण के लिये कुछ ही दिनों पहले कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी (महाराष्ट्र) में एक बांध के टूटने के बाद 23 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई।

बांध सुरक्षा वधियक का इतिहास?

इस वधियक को पहली बार वर्ष 2010 में संसद में पेश किया गया था, उस समय इस वधियक को समीक्षा के लिये स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2011 में सौंपी, जसिके बाद यह वधियक दो बार- 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में वपिक्ष के वरिोध के चलते पारित नहीं हो पाया।

क्यों हो रहा है इस वधियक का वरिोध?

- इस संबंध में कई राज्यों का तर्क है कि 'पानी' राज्य सूची का वषिय है और केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह नरिणय एक असंवैधानिक कदम है जसिे कसिी भी आधार पर उचिती नहीं ठहराया जा सकता है।
- तमलिनाडु सहिती कई अन्य राज्यों जैसे- कर्नाटक, केरल और ओडिशा इस वधियक का पुरज़ोर वरिोध कर रहे हैं। इन राज्यों का कहना है कि यह वधियक राज्यों की संप्रभुता का अतिक्रमण करता है और संवधान में लिखिती संघवाद के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है।
- वधियक के प्रावधानों के अनुसार, **NCDS** के अंतर्गत **केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission-CWC)** का भी एक प्रतिनिधि

- होगा, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि CWC सलाहकार और वनियामक दोनों की भूमिका में होगा और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह अनुचित है।
- तमलिनाडु की मुख्य चिंता वधियक की धारा 23(1) से जुड़ी है, जिसके अनुसार यदि किसी राज्य के बांध दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो इस स्थिति में राज्य बांध सुरक्षा संगठन का स्थान राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा ले लिया जाएगा ताकि अंतर-राज्य संघर्ष को समाप्त किया जा सके।
 - तमलिनाडु को मुख्यतः अपने चार बांधों- मुल्लापेरयार, परमबकुलम, थुनक्कडु और पेरुवरपिल्लम की चिंता है, इन चारों का मालिकाना हक तो तमलिनाडु के पास है परंतु ये उसके पड़ोसी राज्य केरल में स्थित हैं।
 - गौरतलब है कि वर्तमान में तमलिनाडु के इन बांधों का प्रशासन पहले से मौजूद दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से किया जा रहा है।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/why-are-states-unhappy-with-dam-safety-bill>

